कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० पौड़ी
E Mail ID:- eeedpau.pwduk@gov.in Fax & Phone No. (01368-222284)

UTTARAKHAND

उत्तराखण्ड राज्य

पत्रांक 1576 / 2 प्र०अ०

दिनांक 15/12/2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
गढ़वाल वनप्रभाग पौड़ी।

विषय :- जनपद पौड़ी गढ़वाल में संगलाकोटी–भैड़गांव–गुडिण्डा मोटर मार्ग का तिलखोली जजेड़ी तक विस्तार कार्य के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय निर्यसन रोड़ वन अनुसंधान संस्थान परिषद देहरादून के पत्र सं0 08बी0 / यू0सी0पी0 / 06 / 170 / 2015 / 556 दिनांक 21 / 07 / 2016

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के द्वारा जनपद पौड़ी गढ़वाल में संगलाकोटी–भैड़गांव–गुडिण्डा मोटर मार्ग का तिलखोली–जजेड़ी तक विस्तार कार्य हेतु 1.796 है0 वनभूमि का गैरवानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग पौड़ी को प्रत्यावर्तन हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में चिन्हित शर्तों का बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है।

शर्त सं0 –1 के अनुपालन में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित भूमि 3.992 है0 ग्राम बड़ेथ सिविल एवं सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों का रखरखाव हेतु ₹827245.00 (आठ लाख सत्ताईस हजार दो सौ पैंतालीस) मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गई है एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित ग्राम बड़ेथ जिला पौड़ी गढ़वाल की सिविल एवं सोयम भूमि का क्षेत्रफल 3.992 है0 को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण कर दिया गया है एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित भूमि का उपयोगिता प्रमाणए पत्र आपके स्तर से निर्गत किया जाना है।

शर्त सं0 –2 के अनुपालन में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा ₹1179972.00 (रू0 ग्यारह लाख उन्यासी हजार नौ सौ बहत्तर) मात्र एन0पी0वी0 की देय धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गई है। चालान की प्रति संलग्न है।

शर्त सं0 –3 के अनुपालन में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दियागया है कि यदि भविष्य में उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढोत्तरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग के पक्ष में जमा कर दिया जायेगा।

शर्त सं0 –4 के अनुपालन में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा उपरोक्तानुसार धनराशि ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से चालान जनरेट कर कैम्पा कोष देहरादून में चालान सं0 14859 के माध्यम से जमा कर दी गई है। (चालन की प्रति सलग्न)

शर्त सं0 –5 के अनुपालन में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा सड़क निर्माण के पश्चात जहां जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा सैन्ट्रल वैरज पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर विभाग के देख–रेख में Strip Plantation किया जायेगा। इस आशय की बचनबद्धता प्रेषित की जा रही है तथा उपरोक्त मोटर मार्ग में साइड वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु ₹895725.00 (रू0 आठ लाख पिचासी हजार सात सौ पच्चीस) मात्र का वन विभाग के पक्ष में जमा किया जा चुका है।

क्रमशः पेज दो..........

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि
पौड़ी गढ़वाल

शर्त सं0 –6 के अनुपालन में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा प्रश्नगत मोटर मार्ग का Geo coordinates of proposed road may be shown at a regular interval of 200 m to 300 m including all turning point curves along the alignment in this map की प्रति उपलब्ध करा दी गई है तथा वन अधिकार अधिनियम प्रमाण पत्र भी संलग्न कर दिया गया है।

सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात विधिवत स्वीकृति निम्नलिखित अन्य आवश्यक शर्तों का निम्नानुसार पालन किया जायेगा।

1. वनभूमि की विधिक स्थिती नहीं बदली जायेगी, ना ही कोइ माग उठाई जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बढ़ी हुई एन0पी0वी0 की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी जायेगी। (प्रमाण पत्र संलग्न)
3. उक्त बिन्दु वन विभाग से सम्बन्धित है।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कोई भी कोई भी मजदूर नहीं लगाया जायेगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सीमांकन किया जा चुका है।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को रसोई गैस/कैरासीन उपलब्ध कराया जायेगा।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस पास की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जायेगी।
8. प्रयोक्ता अभिकरण कटिबद्ध है कि वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्यों के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जायेगा।
9. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा न्यूनतम वृक्षों का पातन किया जायेगा। (प्रमाण पत्र संलग्न)
10. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सड़क निर्माण के उपरान्त Strip Plantation किया जायेगा। (प्रमाण पत्र संलग्न)
11. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मलवा निस्तारण सम्बन्धि सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा।
12. प्रयोक्ता अभिकरण कटिबद्ध है कि यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय के आदेश प्रस्ताव पर लागू होंगे उसकी अनुमति लेना भी प्रयोक्ता अभिकरण की जिम्मेदारी होगी।
13. प्रयोक्ता अभिकरण इस बात के लिये कटिबद्ध है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति में प्राप्त समस्त शर्तों का पालन कड़ाई से किया जायेगा।

15/12/21

(प्रत्युष कुमार)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
पौड़ी (गढ़वाल)

प्रतिलिपि– 1. जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल को सूचनार्थ प्रेषित।
2. अधीक्षण अभियन्ता 12वाँ वृत्त, लो0नि0वि0 पौड़ी को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
पौड़ी (गढ़वाल)

|| कार्यालय जिलाधिकारी गढ़वाल ||

संख्या 1038 /8-एल0ए0सी0/2016-17 दिनांक पौडी 21, जनवरी, 2017

75 | 2 अ0 310
दिनां0-25/1/17

|| आदेश ||

उपजिलाधिकारी, सतपुली की आख्या दिनांक 21.12.2016 के अनुसार जनपद पौडी गढ़वाल में लोक निर्माण विभाग निर्माण खण्ड पौडी द्वारा प्रस्तावित मैड़गांव-गुडिण्डा मोटर मार्ग के तिमलखोली जजेड़ी तक विस्तार कार्य के 1.796 है0 वन भूमि का हस्तान्तरण वन विभाग पौड़ी के नाम हस्तान्तरण के सम्बन्ध में संगलाकोटी, मैड़गांव, गुडिण्डा, बड़ेथ तक मोटर मार्ग के क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु (लैंड बैंक) खेत सं0 157 मध्ये 3.992 है0 भूमि प्रस्तावित की गई है। यह भूमि ग्राम बड़ेथ की नान0जेड0ए0 खतौनी खाता सं0 11 में श्रेणी 9(3) के अन्तर्गत बंजर के रूप में दर्ज है इस भूमि पर कोई मन्दिर, मस्जिद, शमशानघाट नहीं है।

2— शासनादेश संख्या-2173/XVII(2)/2012-18(120)/2010 दिनांक 17.12.2012 के द्वारा विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिये क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 20,000 है0 सिविल भूमि को वन विभाग के पक्ष में नियमानुसार हस्तान्तरित किये जाने का प्राधिकारी जिलाधिकारी को प्रतिनिधायित किया गया है।

अतः जनपद पौड़ी गढ़वाल के मैड़गांव, गुडिण्डा मोटर मार्ग का तिमलखोली, जजेड़ी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु उपजिलाधिकारी, सतपुली की आख्या एवं उक्त शासनादेश में दिये गये निर्देशानुसार ग्राम बड़ेथ की नान0जेड0ए0 खतौनी खाता सं0 11 में श्रेणी 9(3) मध्ये 3.992 है0 भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उपजिलाधिकारी/तहसीलदार सतपुली तदनुसार अभिलेखों में अमलदरामद की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(चन्द्रशेखर भट्ट)
जिलाधिकारी, गढ़वाल।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1 :- सचिव, उत्तराखण्ड शासन, राजस्व विभाग, देहरादून।
2 :- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3 :- नोड़ल अधिकारी,/प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।
4 :- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी।
5 :- उपजिलाधिकारी/तहसीलदार, सतपुली।

(चन्द्रशेखर भट्ट)
जिलाधिकारी, गढ़वाल।

प्रेषक

तहसीलदार
सतपुली।

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

पत्रांक [illegible] / र0क0 - 2016-17 सतपुली, दिनांक [illegible] [illegible] 2017

विषयः– भैडगांव–गुडिन्डा मोटर मार्ग के तिलखोली जजेड़ी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.992 है0 हेतु भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम नामान्तरण के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि भैडगाव गुडिन्डा मोटर मार्ग के तिलखोली–जजेड़ी तक विस्तार कार्य के लिए जिला अधिकारी महोदय के आदेश संख्या 1038/8–एल0ए0सी0/2016–17 दिनांक 21.1.2017 के द्वारा ग्राम बड़ेथ पट्टी कोलागाड की नोन जेड ए खतौनी खाता संख्या 11 श्रेणी 9(3) मध्ये खसरा सं0 157 मध्ये, 3.992है0 भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

जिलाधिकारी महोदय के उक्त आदेश के अनुपालन में ग्राम बड़ेथ पट्टी कोलागाड–2 में नोन जेड ए खतौनी खाता संख्या 11 में उक्त स्वीकृत भूमि वन विभाग के नाम अमलदरामद किया गया है।

भवदीय

(सुभाष चन्द्र [illegible])
तहसीलदार सतपुली

प्रेषक

तहसीलदार
सतपुली।

सेवा में

प्रभागीय वनाधिकारी,
गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी।

पत्रांक: 185 / रा०का० – 2016-17 सतपुली दिनांक सितम्बर , 25, 2017

विषय:– मैडगांव–गुडिन्डा मोटर मार्ग के तिलखोली जजेड़ी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.992 है0 हेतु भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम नामान्तरण के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि मैडगांव गुडिन्डा मोटर मार्ग के तिलखोली–जजेड़ी तक विस्तार कार्य के लिए जिला अधिकारी महोदय के आदेश संख्या 1038 / 8–एल0ए0सी0 / 2016–17 दिनांक 21.1.2017 के द्वारा ग्राम बड़ेथ पट्टी कोलागाड की नोन जेड. ए. खतौनी खाता संख्या 11 श्रेणी 9(3) मध्ये खसरा सं0 157 मध्ये 3.992है0 भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

जिलाधिकारी महोदय के उक्त आदेश के अनुपालन में ग्राम बड़ेथ पट्टी कोलागाड–2 में नोन जेड ए खतौनी खाता संख्या 11 में उक्त स्वीकृत भूमि वन विभाग के नाम अमलदरामद किया गया है।

भवदीय

(सुभाष चन्द्र ध्यानी)
तहसीलदार सतपुली

प्रेषक,

तहसीलदार
सतुपली।

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी।

पत्रांक [illegible] / संका – [illegible]016–1[illegible] सतपुली दिनांक [illegible] , 2017

विषयः– मैडगांव–गुंडिन्डा मोटर मार्ग के तिलखोली जजेड़ी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.992 है0 हेतु भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम नामान्तरण के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि मैडगांव गुडिन्डा मोटर मार्ग के तिलखोली–जजेड़ी तक विस्तार कार्य के लिए जिला अधिकारी महोदय के आदेश संख्या 1038/8–एल0ए0सी0/2016–17 दिनांक 21.1.2017 के द्वारा ग्राम बड़ेथ पट्टी कोलागाड की नोन जेड ए खतौनी खाता संख्या 11 श्रेणी 9(3) मध्ये खसरा सं0 157 मध्ये 3.992है0 भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

जिलाधिकारी महोदय के उक्त आदेश के अनुपालन में ग्राम बडेथ पट्टी कोलागाड–2 में नोन जेड ए खतौनी खाता संख्या 11 में उक्त स्वीकृत भूमि वन विभाग के नाम अमलदरामद किया गया है।

भवदीय

(सुभाष चन्द ध्यानी)
तहसीलदार सतपुली

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
11	[illegible]	[illegible]	-	36	0.24															
				45	0.376															
				47	0.063															
				157	5.576															
				158	0.070															
				167	0.129															
				269	0.413															
				271	0.218															
				341	0.058															
				415	0.018															
				498	0.008															
				497	0.035															
				500	0.013															
				501	0.120															
				504	0.083															
				585	0.075															
				756	0.036															
				758	0.024															
				802	0.031															
				809	2.381															
				853	0.047															
				986	0.006															
				993	0.070															
				998	0.060															
				1148	0.021															
				1167	0.010															
				1302	0.010															
				1369	0.006															
				1487	0.020															
				1575	0.008															
				1584	0.271															
				1590	0.124															
				1605	0.050															
				1693	0.019															
				1770	0.015															
				1852	0.026															
				1857	0.020															
				1869	0.015															
				1967	0.010															
				2064	0.008															
				2156	0.672															
				2159	0.241															
				2234	0.222															
				2430	0.489															
			कुल	44	11.564															

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय [illegible] के आदेश संख्या 1629/भू.रि./[illegible] दिनांक [illegible]/2017 [illegible] के [illegible] [illegible] ... दिनांक 20-2-2017 [illegible]

[illegible] 3-2017

[illegible]

[illegible]

[illegible] की नकल सही है।

[illegible]

!!! कार्यालय वन क्षेत्राधिकारी पोखड़ा रेंज (पोखड़ा)!!!

पत्रांक– 72 /12–1, दिनांक, पोखड़ा 12, अगस्त 2017.

सेवा में,

वन संरक्षक / प्रभागीय वनाधिकारी
गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी ।

विषयः– जनपद पौड़ी गढ़वाल मे भैड़गाव–गुडिण्डा मोटर मार्ग के तिलखौली–जजेड़ी तक विस्तार कार्य हेतु हस्तान्तरित वन भूमि के बदले मे वन विभाग के नाम क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित सिविल भूमि की उपयुक्तता के सम्बन्ध में जांच आख्या ।

सन्दर्भ– आपका पत्रांक 2227 / 12–1 दिनांक 03 फरवरी 2017.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में निवेदन करना है कि इस कार्यालय के पत्रांक 341 / 12–1, दिनांक 10.02.2017 के अनुसार विषयगत योजना के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित एव हस्तान्तरित भूमि की श्री विशम्भर दत्त वन दरोगा बरसुण्डा अनुभाग से स्थलीय जांच करवाई गयी। श्री विशम्भर दत्त वन दरोगा, श्री दिनेश लाल वन बीट अधिकारी द्वारा श्री विनोद सिंह रावत राजस्व उप निरीक्षक पट्टी–कौलागाड़ ।।, तहसील–सतपुली तथा निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग के प्रतिनिधि श्री रमेश चन्द्र अभिकर्ता के साथ दिनांक 19.05.2017 को संयुक्त रूप से स्थलीय निरीक्षण सम्पन्न किया गया ।

संलग्न मूल सयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 19.05.2017 के अनुसार चयनित क्षेत्र ग्राम–ढडेथ, पट्टी– कौलागाड़, तहसील– सतपुली, पौड़ी गढ़वाल के खतौनी खाता संख्या–11 खेत संख्या 157 मध्ये श्रेणी– 9 (3) ड बंजर उत्तराखण्ड सरकार दर्ज 3.992 है0 (नॉन0जेड0ए0) भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।

अतः उक्त सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में विषयगत परियोजना के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित तथा हस्तान्तरित भूमि की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट मूल में संलग्न कर सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

वन क्षेत्राधिकारी
पोखड़ा रेंज (पोखड़ा)।

/ बी.एल.आर्य /

परियोजना का नाम:– जनपद पौड़ी गढ़वाल में लोक निर्माण विभाग निर्माण खण्ड पौड़ी द्वारा प्रस्तावित मैठगाव–गुडिण्डा मोटर मार्ग के तिलखोली–जजेड़ी तक विस्तार कार्य हेतु राज्य सरकार के अधीन सिविल भूमि को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के सम्बन्ध में।

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत योजना के सापेक्ष चयनित क्षेत्र ग्राम–बडेथ, पट्टी–कोलागाड तहसील सतपुली, पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत खाता संख्या–11 नॉन0जेड0ए0 श्रेणी 9 (3) बंजर दर्ज मध्ये 3.992 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित तथा वन विभाग को हस्तान्तरित एवं नामान्तरित स्थल ग्राम–बडेथ की क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित एवं चयनित सिविल भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।

अतः क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित एवं प्रस्तावित भूमि में Moderately Dens Forest (MDF) एवं Very Dens Forest (VDF) विद्यमान नहीं है।

प्रतिहस्ताक्षरित

(हस्ताक्षर)
वन क्षेत्राधिकारी
पोखड़ा रेंज (पोखड़ा)।

(हस्ताक्षर)
(विशम्भर दत्त)
वन दरोगा / अनुभाग अधिकारी
बरसुण्डा अनुभाग।

(हस्ताक्षर)
(दिनेशलाल)
रा0नि0ग्र0

AGENCY COPY

आन्ध्रा बैंक Corporation Bank

Challan for collection of Ad-hoc CAMPA fund

Date : 13-07-2016

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
PIF/Application No.	ROAD101682015995
Address.	Construction Division PWD Pauri,Pauri Garhwal Pauri Garhwal
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	eepwdodpauri@gmail.com 9634412527 1368-222234
Amount(in Rs)	2892942/-
Beneficiary Branch and Code.	FCS Branch (0633)

Amount in Words: Twenty-Eight Lakh Ninety-Two Thousand Nine Hundred and Forty-Two Rupees Only

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
पौड़ी कोड सं0- 1421

Depositor Signature (Signature)

Bank Official (Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp
14859	

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

CAMPA-MOEF Copy

आन्ध्रा बैंक Corporation Bank

Challan for collection of Ad-hoc CAMPA fund

Date : 13-07-2016

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
PIF/Application No.	ROAD101682015995
Address.	Construction Division PWD Pauri,Pauri GarhwalPauri Garhwal
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	eepwdodpauri@gmail.com 9634412527 1368-222234
Amount(in Rs)	2892942/-
Beneficiary Branch and Code.	FCS Branch (0633)

Amount in Words :Twenty-Eight Lakh Ninety-Two Thousan Nine Hundred and Forty-Two Rupees Only

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
पौड़ी कोड सं0- 1421

Depositor Signature (Signature)

Bank Offici (Signatur

Bank's Transaction Number	Branch Stamp
14859	

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: he

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौडी गढवाल में संगलाकोटी – भैडगाव – गुडिण्डा मोटर मार्ग के तिलखोली – जजेडी तक विस्तार कार्य (हे0 1.796) वनभूमि का गैरवानीकी कार्य लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन हेतु यदि भविष्य में माननीय उच्चतम न्यायालय/ भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोंतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग के पक्ष में करा दी जाय

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 पौडी

अधिशासी अभियन्ता
नि0 ख0 लो0 नि0 वि0
पौडी

<u>प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौडी गढवाल में संगलाकोटी – भैडगाव – गुडिण्डा मोटर मार्ग के तिलखोली – जजेडी तक विस्तार कार्य (है0 1.796) वनभूमि का गैरवानीकी कार्य लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन हेतु में प्रयुक्त एजेन्सी द्वारा सड़क निर्माण के दोनों किनारों पर Cenral Verg पर प्रयोक्ता अभिकरण अपने व्यय पर वन विभाग की देखरेख में Strip Plantation किया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 पौडी

अधिशासी अभियन्ता
नि0 ख0 लो0 नि0 वि0
पौडी

FORM-1
(For linear projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Garhwal

No--5

Dated--11/03/15

TO WHOM SOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **1.796 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Constuction Division, P.W.D. Pauri** for **Construction of Sanglakoti-Bhairgaon-Gudinda upto Tilkholi-Jajeri** (purpose for diversion of forest land) in **Pauri Garhwal** district falls within jurisdiction of **Gudinda-Sald-Tilkholi-Jajeri-Badolgaon** village (s) in **Satpuli** tehsils.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **1.796 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to ...annexure....

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) The proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

11.3.15
(Chandra Shekhar Bhatt)
District Collector, Garhwal

जिलाधिकारी
गढ़वाल

FORM-II

(For projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Garhwal

No-5 Dated-11/2/15

To WHOM SOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that ...... hectares of forest land proposed to be diverted in favour of .... (name of user agency) for...... (purpose for diversion of forest land) in..... district falls within jurisdiction of....... village (s) in..... tehsils.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire... hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub-Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....

(b) The proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concered Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;

(c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the garm sabha of.... villages(s) is enclosed as annexure..... to annexure......

(d) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(f) The rights of Primitve Tribal Groups and Pre-Agricultural communites, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA.

Encl: As above.

11.2.15

(Chandra Shekhar Bhatt)

District Collector, Garhwal

जिलाधिकारी

गढ़वाल

प्रारूप–02

[illegible] [illegible]लाकोटी–भैंडगांव–गुप्तिड़ा [illegible] तिलखोली–जलेडी तक विस्तार।

कार्यालय उप जिलाधिकारी ————
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति ————

[illegible] पौखड़ा परिक्षेत्र के अन्तर्गत [illegible] (1.138 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.497 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, 0.161 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 1.796 हे0 वन भूमि) का निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, पौड़ी प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील सतपुली) की दिनांक 26/1/2015 को [illegible] बैठक की कार्यवाही का विवरण–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम [illegible] [illegible] उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ———— ———— [illegible] स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में [illegible] [illegible] ह।

1– श्री सोहन सिंह सैनी उपजिलाधिकारी ———————— अध्यक्ष
2– श्री [illegible] उप प्रभागीय वनाधिकारी—— [illegible] ———— सदस्य
3– श्री रमेश चन्द्र —सहायक समाज कल्याण अधिकारी— पोखड़ा —सदस्य / सचिव
4– श्री ———— —बी0डी0सी0 क्षेत्र ———————— सदस्य

उप प्रभागीय वनाधिकारी
गढ़वाल वन प्रभाग
[illegible]

[illegible] सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की [illegible] [illegible] प्रारम्भ की गई। [illegible]

———— [illegible]

[illegible] हस्तान्तरित किये जाने हेतु [illegible] [illegible] मामला लम्बित नहीं है; उक्त भूमि [illegible] [illegible] अधिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की संस्तुति की गई है।

[illegible] समिति उप प्रभागीय वनाधिकारी ———— द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वननिवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान [illegible] [illegible] अवगत कराया [illegible] अधिनियम, 2006 के [illegible] [illegible] किया गया है। [illegible] वन अधिकार [illegible]

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड पोखड़ा परिक्षेत्र के अन्तर्गत ______________________ परियोजना के निर्माण हेतु 1.796 है0 वन भूमि .... प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–सतपुली
जनपद पौड़ी गढ़वाल

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–सतपुली
जनपद पौड़ी गढ़वाल

प्रारूप–30.1

Annexure....

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT **Pauri** (U.K.)

पत्रांक-1690/चि०-वि०वन-2014-015 दिनांक 10-02-2015

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Garhwal District constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Chandra Shekher Bhatt,I.A.S, deputy commissioner, Pauri on dated 9-/2/2015...at time 11.30 am.at Pauri in which the application claiming rights in .... area measuring **1.796 Hectare** for the construction of **Sanglakoti-Bhedgaon-Gudinda Motor Road upto Tilkholi-Jajeri** of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Pokhra** sub division were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level Committee recommends the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Pauri.

Dated:

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee

It is Further Certified that minutes of meeting of construction of Sanglakoti-Bhedgaon-Gudinda Motor road upto Tilkholi-Jajeri (12.000 Km) regarding FRA is as following

Sl. No.		Remark
(a)	The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA had been carried out for the entire 1.796 hectares of forest area proposed for Diversion. A Copy of record of all consultations and meeting of the forest rights Committee(s), Sub Division Level Committee(s) are enclosed as annexure.	Yes Copy of record attached as there are no habitants belonging to Scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.
(b)	The Diversion of Forest land for facilities managed by the government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have been given consent to it.	Yes Copy of records attached as there are no habitants belonging to Scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers No objection certificate concerned villages regarding construction of aforesaid construction of motor road is attached.
(C)	The Proposal does not involve recognized right of primitive tribal groups and pre agricultural Communities.	Yes Copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

हर्ष सिंह
ज्येष्ठ उप प्रमुख
Dist. Board, District Board
जिला पंचायत, पौड़ी
Pauri Garhwal

District Social Welfare Officer
Pauri Garhwal
जिला समाज कल्याण अधिकारी
पौड़ी गढ़वाल

प्रभागीय वनाधिकारी
Divisional Forest Officer
गढ़वाल वन प्रभाग
Pauri Garhwal

Executive Engineer
Construction Division
P.W.D. Pauri
अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लो.नि.वि.
पौड़ी गढ़वाल

5.2.15
Deputy Commissioner
DM/Collector
Garhwal

जनपद पौडी गढ़वाल के विकास खण्ड पोखड़ा के अन्तर्गत संगलाकोटी–भैड़गांव–गुडिण्डा मोटर मार्ग का तिलखोली–जजेड़ी तक विस्तारीकरण (लम्बाई 12.00 किमी0)

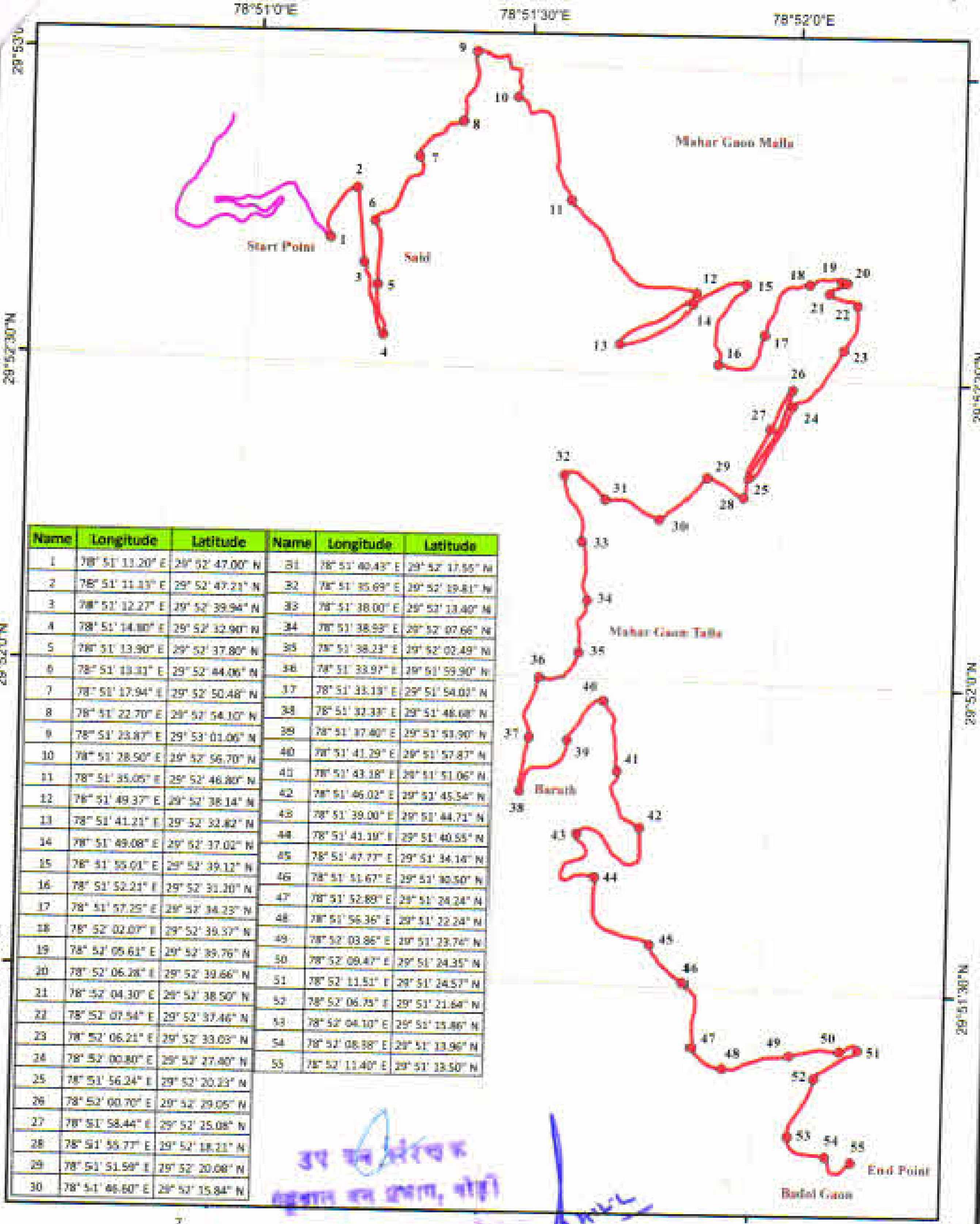

Name	Longitude	Latitude
1	78° 51' 13.20" E	29° 52' 47.00" N
2	78° 51' 11.13" E	29° 52' 47.21" N
3	78° 51' 12.27" E	29° 52' 39.94" N
4	78° 51' 14.80" E	29° 52' 32.90" N
5	78° 51' 13.90" E	29° 52' 37.80" N
6	78° 51' 13.31" E	29° 52' 44.06" N
7	78° 51' 17.94" E	29° 52' 50.48" N
8	78° 51' 22.70" E	29° 52' 54.10" N
9	78° 51' 23.87" E	29° 53' 01.06" N
10	78° 51' 28.50" E	29° 52' 56.70" N
11	78° 51' 35.05" E	29° 52' 46.80" N
12	78° 51' 49.37" E	29° 52' 38.14" N
13	78° 51' 41.21" E	29° 52' 32.82" N
14	78° 51' 49.08" E	29° 52' 37.02" N
15	78° 51' 55.01" E	29° 52' 39.12" N
16	78° 51' 52.21" E	29° 52' 31.20" N
17	78° 51' 57.25" E	29° 52' 34.23" N
18	78° 52' 02.07" E	29° 52' 39.37" N
19	78° 52' 05.61" E	29° 52' 39.76" N
20	78° 52' 06.28" E	29° 52' 39.66" N
21	78° 52' 04.30" E	29° 52' 38.50" N
22	78° 52' 07.54" E	29° 52' 37.46" N
23	78° 52' 06.21" E	29° 52' 33.03" N
24	78° 52' 00.80" E	29° 52' 27.40" N
25	78° 51' 56.24" E	29° 52' 20.23" N
26	78° 52' 00.70" E	29° 52' 29.05" N
27	78° 51' 58.44" E	29° 52' 25.08" N
28	78° 51' 55.77" E	29° 52' 18.21" N
29	78° 51' 51.59" E	29° 52' 20.08" N
30	78° 51' 46.60" E	29° 52' 15.84" N
31	78° 51' 40.43" E	29° 52' 17.55" N
32	78° 51' 35.69" E	29° 52' 19.81" N
33	78° 51' 38.00" E	29° 52' 13.40" N
34	78° 51' 38.59" E	29° 52' 07.66" N
35	78° 51' 38.23" E	29° 52' 02.49" N
36	78° 51' 33.97" E	29° 51' 59.90" N
37	78° 51' 33.19" E	29° 51' 54.02" N
38	78° 51' 32.33" E	29° 51' 48.68" N
39	78° 51' 37.40" E	29° 51' 53.90" N
40	78° 51' 41.29" E	29° 51' 57.87" N
41	78° 51' 43.18" E	29° 51' 51.06" N
42	78° 51' 46.02" E	29° 51' 45.54" N
43	78° 51' 39.00" E	29° 51' 44.71" N
44	78° 51' 41.19" E	29° 51' 40.55" N
45	78° 51' 47.77" E	29° 51' 34.14" N
46	78° 51' 51.67" E	29° 51' 30.50" N
47	78° 51' 52.89" E	29° 51' 24.24" N
48	78° 51' 56.36" E	29° 51' 22.24" N
49	78° 52' 03.86" E	29° 51' 23.74" N
50	78° 52' 09.47" E	29° 51' 24.35" N
51	78° 52' 11.51" E	29° 51' 24.57" N
52	78° 52' 06.75" E	29° 51' 21.64" N
53	78° 52' 04.10" E	29° 51' 15.86" N
54	78° 52' 08.38" E	29° 51' 13.96" N
55	78° 52' 11.40" E	29° 51' 13.50" N

Proposed Road

Existing Road

उप वन संरक्षक
गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी

विजय सिंह

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय,
पियर्सन रोड,
वन अनुसंधान संस्थान परिसर,
पो0ओ0 न्यू फॉरेस्ट, देहरादून–248006
दूर भाषा: 0135–2750809.
ईमेल / Email – moef.ddn@gmail.com

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT,
FORESTS & CLIMATE CHANGE,
REGIONAL OFFICE,
Pearson Road, FRI Campus,
P.O. New Forest, Dehradun – 248006
Phone: 0135-2750809

पत्र सं0 08बी / यू0सी0पी0 / 06 / 170 / 2015 / 556

दिनांक21 जून, 2016

सेवा में,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद–पौड़ी गढ़वाल में संगला कोटी–भेडगांव–गुडिण्डा मोटर मार्ग के तिलखोली–जजेडी तक विस्तार कार्य हेतु 1.796 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ : ऑनलाइन प्रस्ताव **FP/UK/ROAD/10168/2015** एवं प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी का पत्रांक – 3913/ **FP/UK/ROAD/10168/2015** दिनांक: 20.06.2016

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online proposal No. FP/UK/ROAD/10168/2015 एवं प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

इस विषय में मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त केन्द्र सरकार जनपद–पौड़ी गढ़वाल में संगला कोटी–भेडगांव–गुडिण्डा मोटर मार्ग के तिलखोली–जजेडी तक विस्तार कार्य हेतु 1.795 हे0 वन भूमि के लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 3.592 हे0 ग्राम बडेत सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।

3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।

4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में, **Online portal** के माध्यम द्वारा जो चालान **Generate** होता है, उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है। जिसकी सूचना सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाए।

5. सड़क के निर्माण के पश्चात जहां–जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।

6. राज्य सरकार हार्ड कॉपी में प्रस्तुत किए गए वनाधिकार अधिनियम प्रमाण पत्र तथा प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित मार्ग का हर 200–300 मी0 पर geo-coordinates दिखाते हुए डिजिटल मानचित्र का Online Part-I पर भी upload करें।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालना आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाये। राज्य सरकार द्वारा विधिवत स्वीकृति तथा प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की जाती।

सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित अन्य आवश्यक शर्तों के साथ प्रदान की जायेगी:–

1. वन भूमि की विधिक स्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. एन.पी.वी. की दरों में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
3. प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 3.592 है0 सिविल एवं सोयम भूमि को छः माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत आरक्षित / संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों / स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस / केरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।
7. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।
8. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।
9. कम से कम वृक्षों का कटान / पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 133 से अधिक न हो।
10. सड़क के निर्माण कार्य के पूर्ण होने के पश्चात जहां–जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जाएगी।
11. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलबे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
12. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।
13. यदि विधिवत स्वीकृति में दी गई शर्तों का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

(एन0एस0 नेगी)
वन संरक्षक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः
1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(एन0एस0 नेगी)
वन संरक्षक